Store Purchase Rules

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम

लोक सेवा हितार्थ सामग्रियों के प्रदाय हेतु तथा इनके प्रावधानों के अध्यधीन भण्डार क्रय करने वाले अधिकारियों के मार्गदर्शनार्थ अनुदेश

नियमों की प्रस्तावना

लोकसेवा हितार्थ भण्डार क्रय करने के लिये राज्य शासन की नीति यह है कि क्रय इस प्रकार किया जाये जिससे सामान्यतः देश में एवं मुख्यतः इस प्रदेश में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिल सके 1ख्एवं अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को व्यवसाय करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके, तथा जो सक्षमता से आर्थिक नीतियों के अनुरूप भी हों । इस नीति के अनुरूप मध्यप्रदेश भण्डार क्रय हेतु (मुद्रण एवं लेखन सामग्री को छोड़कर) राज्य शासन के निम्न नियम लागू होंगे । यह नियम इस विषय पर पूर्व के सभी आदेशों को निष्प्रभावी करते हैं ।

उक्त नीति को प्रभावी बनाने हेतु क्रय प्रक्रिया में प्राथमिकता निम्न क्रम में दी जायेगी :–

2ख्**प्रथम**–ऐसी वस्तुएं जो प्रदेश के लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित की जाती हैं, और इस आशय के लिये वे उद्योग आयुक्त से पंजीकृत हों, बशर्ते कि उनकी गुणवत्ता पर्याप्त अच्छी हो । 1ख्प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग इकाइयों को प्राथमिकता दी जावेगी ।,

द्वितीय–ऐसी सामग्रियां जो प्रदेश के मध्यम अथवा बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित हों, बशर्ते कि उनकी गुणवत्ता एवं मूल्य अन्य प्रान्तों के साथ तुलनीय हों, 1खकिन्तु प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा प्रदेश में स्थापित मध्यम अथवा बड़े उद्योग इकाइयों को प्राथमिकता दी जावेगी ।,

तृतीय– ऐसी सामग्रियां, जिनका कच्चा माल भारत में उत्पादित होता है अथवा कच्चे माल से भारत में ही निर्मित हों, बशर्ते कि इस कार्य हेतु उनकी गुणवत्ता पर्याप्त अच्छी हो,

चतुर्थ– ऐसी सामग्रियां जो पूर्णतः अथवा अंशतः आयातित माल से भारत में ही निर्मित की जाती हैं, बशर्ते कि कार्य हेतु गुणवत्ता काफी अच्छी हो,

पंचम– विदेश में निर्मित ऐसी सामग्रियां, जिनका स्टॉक भारत में है, बशर्ते कि वे उचित प्रकार की तथा वांछित गुणवत्ता वाली हों, तथा

षष्टम– विदेश में निर्मित ऐसी सामग्रियां, जिनके आयात करने की विशेष आवश्यकता है,

2ख्सक्षम प्राधिकारी लघु उद्योगों द्वारा निर्मित सामग्रियों को जो उद्योग संचालक के यहां इस हेतु पंजीकृत हैं, को प्राथमिकता प्रदान करेंगे ।

1 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः एफ 6–8/03/11–अ दिनांक 19–2–03 से जोड़ा गया ।
2 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः एफ 5/7/78/बी/11 दिनांक 29–4–1978 से प्रथमत प्राथमिकता क्रम विलोपित कर शेष क्रमबद्ध तथा षष्टम क्रम के बाद का पैरा एवं नियम 2, 7 तथा 14 संशोधित ।

नियम 1 :–नियम 9 एवं 10 के प्रावधानों को छोड़कर, लोक सेवा हेतु क्रय किये जाने वाले पदार्थ इस शर्त पर क्रय किये जायेंगे कि उनका परिदान भारत में किया जायेगा तथा भुगतान भी भारत में रूपयों में होगा ।

[2]खनियम 2:— निविदाएं भारत में ही बुलाई जाना चाहिए । जब पदार्थ नियम 1 से 5 के अन्तर्गत क्रय किया जाना हो, तो विदेशों से भी निविदाएं बुलाई जा सकती हैं । परन्तु यदि मांग का मूल्य कम है एवं लोक हित में ऐसा किया जाना उचित नहीं है, तो विदेशों से निविदायें नहीं बुलाई जाना चाहिए । ऐसी कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावे जो नियम 1 में प्रावधित भुगतान एवं परिदान की शर्त की पूर्ति नहीं करती । बशर्ते कि नियम 14 के अध्यधीन जहां मध्यप्रदेश के पंजीकृत लघु उद्योगों संबंधी परिशिष्ट ''बी'' में आरक्षित सामग्रियों का क्रय किया जाना हो, कोई निविदा आमंत्रित नहीं की जायेगी और मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित द्वारा घोषित दरें सक्षम अधिकारी पर बाध्यकारी होंगी ।

नियम 3:— नियम 14 के अध्यधीन, मध्यप्रदेश में उत्पादित अथवा निर्मित पदार्थों को, क्रय हेतु भारत के अन्य स्थानों में उत्पादित अथवा निर्मित वस्तुओं की तुलना में प्राथमिकता दी जाना चाहिए, बशर्ते कि मूल्य यथोचित हो और गुणवत्ता पर्याप्त अच्छी हो ।

नियम 4:— ऐसी सभी वस्तुएं, जो भारत में अथवा भारत के बाहर निर्मित की गई हैं, तथा जो वस्तुएं भारत सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित विवरण अथवा परीक्षण के अनुरूप हैं, तथा जहां परीक्षण निर्माण के समय अथवा प्रदाय करने वाली फर्म के संस्थान में प्रदाय के पूर्व अथवा उपरान्त किया जाना है, निरीक्षण की शर्त पर स्वीकार की जायेंगी ।

नियम 5:— नियम 14 के अध्यधीन महत्वपूर्ण संयंत्रा, मशीनें एवं लोहा तथा इस्पात से निर्मित वस्तुएं केवल उन्हीं फर्मों से प्राप्त की जायेंगी, जिनका नाम डायरेक्टर जनरल सप्लाइज़ एवं डिस्पोज़ल, इंडियन स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा अनुमोदित हो अथवा जिनका नाम समय—समय पर उनके द्वारा सूची में सम्मिलित किया गया हो ।

नियम 6:— ठेके पर दिये गये महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के मामलों में, ऐसे कार्यों के निर्माण की सामग्री ठेका लेने वाली फर्म से इस शर्त पर प्राप्त की जाये कि वह निर्धारित विवरण के अनुरूप है तथा निर्धारित परीक्षण द्वारा संतुष्ट करते हैं ।

नियम 7:— जब तक यह न दर्शाया जा सके कि वे स्वयं सामग्रियों को अधिक संस्ता अथवा अत्यावश्यकता की दशा में अविलम्ब क्रय कर सकते हैं, जब तक भारत में रू. 50,000/— से अधिक के क्रय हेतु महानिदेशक प्रदाय एवं निपटान के माध्यम से उपयोग मांग पत्रा देने वाले अधिकारियों को अवश्यक करना चाहिये ।

[2]खकिन्तु जहां लघु उद्योग निगम मर्यादित के माध्यम से क्रय करना हो तो वहां उपरोक्त निर्बन्धन प्रभावी नहीं होगा ।

नियम 8:— इन नियमों के अधीन एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से क्रय किया जाना वर्जित नहीं है ।

---

[2] वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः 5/7/78/बी/11 दिनांक 29—4—1978 से प्रथमत प्राथमिकता क्रम विलोपित कर शेष क्रमबद्ध तथा षष्टम क्रम के बाद का पैरा एवं नियम 2, 7 तथा 14 संशोधित ।

[2] वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः 5/7/78/बी/11 दिनांक 29—4—1978 से प्रथमत प्राथमिकता क्रम विलोपित कर शेष क्रमबद्ध तथा षष्टम क्रम के बाद का पैरा एवं नियम 2, 7 तथा 14 संशोधित ।

नियम 9:— परिशिष्ट 'अ' में उल्लेखित वस्तुएं अथवा अन्य विशेष अथवा असाधारण प्रकार की वस्तुओं का क्रय जहां पूर्व में बताये नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता हो, तो निम्न शर्तों के अधीन पूर्व में बताये नियमों के सन्दर्भ के बिना किया जा सकता है :—

(अ) जहां क्रय मूल्य रू.5,000/— से अधिक हो, तो अभिलेखों में यह अंकित किया जाना आवश्यक है कि किन कारणों से पूर्व में बताये नियमों के अनुसार क्रय नहीं किया जा सकता ।

(ब) क्रय अधिकारी अपने विवेकानुसार या तो सीधे इंडियन स्टोर डिपार्टमेंट लन्दन को आदेश देकर वस्तुएं प्राप्त कर सकता है अथवा इन नियमों के नियम 12 में दी गई सीमा के अधीन प्राप्त कर सकता है । जहां निर्माताओं अथवा विक्रेताओं से सीधे अथवा विदेश के व्यापारियों से क्रय का आशय हो, जहां तक व्यवहार्य हो, पहले निविदाएं मंगाई जाना चाहिए ।

(स) जहां इस नियम के अन्तर्गत इंडियन स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन के माध्यम से विदेश में क्रय किया जाये तब उसी विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा । अन्य प्रकरणों में —

(1) ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड को छोड़कर, अन्य देशों में क्रय अधिकारी द्वारा सीधे प्रदाय करने वाले को ।

(2) ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैण्ड में भारत के उच्चायुक्त के माध्यम से ।

नियम 10:— ऐसी वस्तुएं जिनका भारत में उत्पादन नहीं होता है तथा लोकहित में उनका क्रय किया जाना आवश्यक है तथा जिनका भारत में भण्डारण नहीं है और न वे समयावधि में उपयोग हेतु भारत में उपलब्ध हो सकती है, तो उन्हें क्रय अधिकारी इंडियन स्टोर डिपार्टमेंट लन्दन पर आदेश प्रस्तुत कर प्राप्त करेगा ।

ऐसे सभी प्रकरणों में क्रय अधिकारी को आदेश अग्रेषित करने के पूर्व, निर्मित किये गये नियमों के अन्तर्गत क्रय न किये जा सकने का कारण अंकित करना चाहिए तथा आदेश पर निम्न प्रारूप में एक प्रमाणीकरण अंकित करना चाहिए:—

''मैं प्रमाणित करता हूं कि जांच करने के उपरांत मैं संतुष्ट हूं कि आदेश में सम्मिलित वस्तु/वस्तुएं भारत में वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं और न वह ऐसी समयावधि में उपलबध हो सकती है, जिस समयावधि में उनका उपयोग किया जाना है । ''

दिनांक:

क्रय अधिकारी

नियम 11:— आवश्यकताओं का पूर्वानुमान इंडियन स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन से मांगपत्रा पर प्राप्त किया जाये ।

ऐसे प्रकरणों में जहां इंडियन स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन के माध्यम से वस्तुएं प्राप्त की जाना है वहां आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, ताकि पर्याप्त समय के अन्दर मांग—पत्रा भेजा जा सके । यह भी ध्यान में रखा जाये कि शासकीय भण्डार पर भी चुंगी टैक्स ठीक उसी प्रकार अधिरोपित होता है जिस प्रकार निजी व्यापारिक माल पर तथा उक्त चुंगी टैक्स आदेश देने वाले विभाग पर भारित होगा । अतएव आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में चुंगी टैक्स भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

नियम 12:– इग्लैंड में वस्तुएं प्राप्त करने में लगने वाला समयः– यह मानकर चला जाये कि इंडियन स्टोर डिपार्टमेंट लन्दन को आदेश पहुंचने एवं प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की प्राप्ति के लिये आवश्यक समय निम्न प्रकार होगा :–

आवश्यक तार द्वारा आदेशः–	तीन माह से कम नहीं
साधारण आदेशः–	आदेश दी गई वस्तुओं के प्रकार के अनुसार छः माह तक ।
विशिष्ट आदेशों के लिये उदाहरणार्थ बड़े गर्डर, रोलिंग स्टॉक आदिः–	साधारणतः एक वर्ष तक

[3]**खनियम 13:–** भारत और विदेश में क्रय हेतु अधिकारियों की शक्तियों पर वित्तीय सीमाएं भण्डार क्रय के मामलों में विभाग के अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां, वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग 1 तथा 2 में उल्लेखित हैं, तक सीमित रहेंगी ।

[2]**खनियम 14:–** परिशिष्ट ''बी'' में सम्मिलित वस्तुएं जो कि समय–समय पर पुनरीक्षण के अध्यधीन हैं एवं मध्यप्रदेश की ऐसी लघु उद्योग इकाईयां जो आयुक्त उद्योग के यहां पंजीकृत हैं, द्वारा निर्मित की जाती हैं । केवल मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित के मार्फत ही क्रय की जावेंगी । इनकी दरें निगम द्वारा निर्धारित की जाती हैं । सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक से ऐसी वस्तुएं क्रय करने हेतु निविदाएं आमंत्रित नहीं की जायेंगी ।

[4]ख्बशर्ते जिन वस्तुओं का उत्पादन राज्य शासन के उपक्रमों द्वारा किया जाता है, उन्हें सीधे ऐसे उपक्रमों से ऐसी दरों पर क्रय किया जाये जो कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई समिति द्वारा निर्धारित की जायेंगी । उक्त क्रय के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसी वस्तुओं के लिये कोई टेंडर नहीं बुलाया जायेगा ।

नियम 14 के तहत सार्वजनिक उपक्रमों से से किये जाने वाले क्रय की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(अ) सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उत्पादित जो भी सामग्री शासन के विभाग क्रय करेंगे उसका मूल्य प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर निर्धारित किया जावेगा ।

मूल्य निर्धारण के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगाः–

सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
अध्यक्ष
सचिव, शिक्षा/आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण/गृह/राजस्व/वित्त एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग
सदस्य

सामग्रियों का मूल्य निर्धारण करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि सामग्री का मूल्य, बाजार में उपलब्ध इसी प्रकार की सामग्री के मूल्य के स्पर्धा पर ही हो ।

(ब) जो क्रय शासन के विभाग करेंगे उसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

---

[3] वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः 8138/4172/11/बी/84 दिनांक 17–8–84 से संशोधित ।

[2] वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः 5/7/78/बी/11 दिनांक 29–4–1978 से प्रथमत प्राथमिकता क्रम विलोपित कर शेष क्रमबद्ध तथा षष्टम क्रम के बाद का पैरा एवं नियम 2, 7 तथा 14 संशोधित ।

[4] वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः एफ13/8/91/11/अ दिनांक 24–5–1994 से जोड़ा गया ।

(1) खेरची क्रय जिला स्तर पर सार्वजनिक उपक्रमों के रिटेल आउटलेट से जिला प्रमुख और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जावेगा ।
(2) थोक क्रय के आदेश राज्य स्तर पर सार्वजनिक उपक्रम के मुख्यालय से विभाग प्रमुख अथवा शासन के विभागों द्वारा दिये जायेंगे ।

[5]ख**नियम 14 (अ):–** प्रदेश के हाथकरघा बुनकर या मध्यप्रदेश की हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियां या मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उत्पादित सामग्रियां, जो परिशिष्ट ''सी'' में शामिल हैं, समय–समय पर पुनरीक्षण के अध्यधीन हैं, उन्हें या मध्यप्रदेश राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित या मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम या मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय की जायेगी । ऐसी सामग्रियों के क्रय हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा पृथक से निविदा नहीं बुलाई जायेगी । समस्त शासकीय विभाग/उपक्रम अपने कपड़े की पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा उत्पादित सामग्री से ही करेंगे । यदि किसी कारणवश कोई विभाग/उपक्रम इस प्रक्रिया से छूट चाहता है तो उसे मंत्रि–परिषद की स्वीकृति लेना आवश्यक होगी ।

[5]ख**नियम 14(ब):–** मध्यप्रदेश में हाथकरघा बुनकरों/हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियों एवं पावरलूम बुनकरों/पावरलूम बुनकर समितियों द्वारा उत्पादित वस्त्रों से निर्मित सिले–सिलाये वस्त्रा (त्मंकलउंकम ळंतउमदजे) मध्यप्रदेश राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, मध्यप्रदेश पावरलूम सहकारी संघ या मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम से ही क्रय किये जायेंगे । ऐसी सामग्री के क्रय हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा पृथक से निविदा नहीं बुलायी जायेंगी । सिले–सिलाये वस्त्रों की .... स्वीकृति लेना होगी ।

[6]ख**नियम 14(सी):–** कार्यालयीन उपयोग की निम्नलिखित वस्तुओं का क्रय समस्त शासकीय कार्यालयों में केवल ग्रामोद्योग सेक्टर यथा– म.प्र. हस्तशिल्प विकास निगम, म.प्र. चर्म विकास निगम , म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और [7]ख्म.प्र. राज्य औद्योगिक सहकारी संघ, से ही किया जावेः–
(1) बैठकों के लिये फैन्सी फाईल कवर,
(2) कलमदान प्लास्टिक आदि की जगह पर वेलमेट बॉस या पत्थर के खरीदे जावें ।
(3) पेपर वेट ।
(4) पानी के गिलास के नीचे रखे जाने वाले कोस्टर (प्लास्टिक के बजाय जूट के खरीदे जायें) ।
(5) ट्रे (प्लास्टिक की बजाय बांस की खरीदी जावे) ।
(6) कार्यालयों की सजावट के लिये लोक कला और आदिवासी कला की कृतियां जैसे– चित्रा, मूर्तियां या आकृतियां आदि ।

---

[5] वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः एफ 6/20/2001/11/अ दिनांक 16–01–2002 से संशोधित ।
[5] वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः एफ 6/20/2001/11/अ दिनांक 16–01–2002 से संशोधित ।
[6] वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः एफ 12–13/96/अ/ग्यारह दिनांक 21–2–97 से जोड़ा गया ।
[7] वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः एफ 12–1/99/11/अ दिनांक 11–2–99 से संशोधित ।

[5]ख**नियम 14(द):–** मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं का क्रय शासकीय विभाग बिना निविदा बुलाये कर सकेंगे :–

(1) चमड़ा (कच्चा व पक्का) चमड़े के जूते, चप्पल, बेल्ट, बैग, ब्रीफकेस, पिस्तौल/रिवाल्वर के कवर, जैकेट
(2) उनी तथा सूती दरियां, फर्श, सूती तथा उनी कम्बल
(3) पायदान, अगरबत्ती, कपड़ा धोने का साबुन एवं शहद

[8]ख**नियम 14(इ):–** मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ से निम्नांकित सामग्री बिना निविदा बुलाये क्रय की जा सकेगीः–

(1) संलग्न परिशिष्ट क्रमांक–1 अनुसार स्टेशनरी आयटम्स ।
(2) संलग्न परिशिष्ट क्रमांक–2 अनुसार कार्यालयों के उपयोग में आने वाली विविध सामग्री ।

नियम 15:– नियमों का पालन करने से छूट प्रदाय करने के अधिकार– यदि लोक हित में हों तो राज्य शासन इन नियमों का पालन करने से छूट प्रदान कर सकता है । किन्हीं प्रकरणों में छूट प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्रा राज्य शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रषित किया जाना चाहिए ।

[9]ख**नियम 16:–** लघु उद्योग निगम द्वारा लिया जाने वाला सेवा शुल्क की अधिकतम सीमा दो प्रतिशत से अधिक न होगी ।

[10]ख**नियम 17(अ):–** भण्डार क्रय नियम 2 के अन्तर्गत सीमित निविदा द्वारा क्रय की जाने की सीमा तक, जो वर्तमान में 25 हज़ार रूपये है, एवं जो समय–समय पर शासन द्वारा संशोधित की जाए, वस्तुओं के क्रय हेतु कम से कम 30 प्रतिशत क्रय ऐसे उद्यमियों/विक्रेताओं/संस्थानों/उत्पादकों से किया जाएगा, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक हो । अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ऐसे व्यवसाईयों से 30 प्रतिशत का क्रय सम्भव न हो तो क्रयकर्ता अधिकारी छूट के कारणों को लिपिबद्ध करते हुए अपने विभागाध्यक्ष की स्वीकृति उपरांत ही अन्य व्यवसाइयों से उक्त खरीदी कर सकेगा । विभागाध्यक्ष, स्वीकृति की प्रति मय, विस्तृत जानकारी के लघु उद्योग निगम को तत्काल उपलब्ध कराएंगे ।

[10]ख**नियम 17(ब):–** भण्डार क्रय नियम 2 के अन्तर्गत खुली निविदा के द्वारा क्रय किये जाने की सीमा में, जो वर्तमान में 25 हज़ार रूपये से अधिक हैं, जो समय–समय पर शासन द्वारा संशोधित की जाए, वस्तुओं के क्रय हेतु क्रेता विभाग/क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा आमंत्रित की गई निविदाओं में यदि उपरोक्त नियम 17 (अ) में परिभाषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यवसाइयों द्वारा पर्याप्त संख्या में भाग नहीं लिया जाता है, तो निविदा के परिणामों के आधार पर अनुमोदित की गई दर पर सामग्री प्रदाय करने

---

[5] वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः एफ 6/20/2001/11/अ दिनांक 16–01–2002 से संशोधित ।
[8] वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः एफ 6–5/2002/11/अ दिनांक 18–11–2002 से जोड़ा गया ।
[9] वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः एफ 12–24/97/11/अ दिनांक 10–11–1998 से जोड़ा गया ।
[10] वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः एफ 6–8/03/11–अ दिनांक 19–2–03 से जोड़ा गया ।

[10] वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांकः एफ 6–8/03/11–अ दिनांक 19–2–03 से जोड़ा गया ।

हेतु उपरोक्तानुसार परिभाषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक व्यवसायियों को प्रदाय करने में कम से कम 30 प्रतिशत की सीमा तक प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ।

[10]ख**नियम 17(स):—** चूंकि शासन के सभी विभागों के द्वारा एवं भण्डार क्रय नियम के अन्तर्गत अधिकृत संस्थाओं के द्वारा शासकीय क्रय में उपरोक्तानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यवसायी /उद्यमियों को प्राथमिकता दी जानी है, अतः जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा इन वर्ग के व्यवसायी/उद्यमियों का पृथक से पंजीकरण किया जाएगा । क्रेता विभाग या संस्थाओं के द्वारा मांग किये जाने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यवसायी/उद्यामियों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराई जायेगी ।

[10]ख**नियम 17(द):—** शासन के समस्त विभागों के द्वारा अपने प्रशासनिक प्रतिवेदन में वर्ष के दौरान उनके द्वारा किये गये कुल क्रय एवं उसमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यवसायी/उद्यमियों से किये गये क्रय का विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा ।

[10]ख**नियम 18:—** शासकीय विभागों द्वारा सीमित निविदा की सीमा तक, जो वर्तमान में रू. 25,000/— है एवं जो समय—समय पर शासन द्वारा संशोधित की जाए, शासन द्वारा प्रोत्साहित स्वसहायता समूह (ैमसि्भ्मसच ळतवनच) द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुएं जो भण्डार क्रय नियम के नियम 14, 14(अ), 14(ब), 14(स), 14(द) एवं 14(इ) में उल्लेखित है, को सीमित निविदा बुलाकर उनसे सीधे क्रय करने की छूट दी जाये ।

....